



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM – 'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 282

Indore, Dated 10.02.2020

प्रेषक :

ज्वाईट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्री सुरेशचन्द गुप्ता
पिता स्व. श्री नवनीतलाल गुप्ता
उम्र 45 साल,
व्यवसाय—व्यापार पता :- 20,
महारानी रोड, इंदौर

विषय :- आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रस्तुत सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन आई.डी.क्रमांक 08/2020-2021 के निरस्तीकरण बाबद्।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आई.डी.संख्या 08/2020-2021 में पंजीकृत है तथा आवक क्रमांक 225 दिनांक 04/02/2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ है के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती हैं :-

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2006 के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाना चाहिए, जबकि आपके द्वारा कई सूचनाएं मांगी गई हैं।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) (बी) के अनुसार आपके आवेदन में स्पष्ट और विशिष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं तथा आपके द्वारा मांगी गई जानकारी फार्म "A" सहित कुल 6 पेजों में होने एवं चाही गई जानकारी का विवरण 4 पेजों में अस्पष्ट विवरण होने तथा विशिष्ट विवरण न होने कारण से आपका आर.टी.आई. आवेदन खारिज किया जाता है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आप इस विनिश्चय के विरुद्ध आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, अपीलीय अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के हकदार हैं।

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईट रजिस्ट्रार (एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर

०९

Cont...2

(2)

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 223

Indore, Dated 10.02.2020

Copy forwarded to : Principal Registrar, High Court of M.P., Bench at
Indore for kind information.

de


SPIO, Joint Registrar (M)

10.02.2020